an>

Title: Need to enquire alleged misbehaviour with a handicapped women in Maharashtra Express.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदय, मैं एक विकलांग अधिवक्ता के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। कुमारी संगीता तुकाराम रोकड़े जो पेशे से वकील है। वह दिनांक 20.06.2013 को नागपुर से महाराष्ट्र एक्सप्रेस के संबंधित टी.सी.ओ. से बातचीत कर तथा उनकी अनुमति लेकर ए.सी. कोच में बैठी थी। जो लीगल चार्ज देने हेतु तत्पर थी। परन्तु टी.सी.ओ. चार्ज तो ले रहा था, परन्तु वह उसे रसीद नहीं दे रहा था, जिसको लेकर बहुत बातें हुई, फिर विकलांग के साथ बदतमीजी की गई, पशुओं जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया। इस घटना की लिखित शिकायत रेलवे में भी दर्ज की गई है, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई है और विकलांग वकील को मिलने वाली सुविधाओं को बन्द कर दिया गया है।

आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि विकलांग महिला को मिलने वाली सुविधाएं उसे दी जाएं। उस घटना की जांच के लिए जांच कमेटी बैठायी जाय और उसे उचित सहयोग दिया जाये।